UPME010082992026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।**

**प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2252/2026**

वसीम पुत्र रहीस

निवासी–2402, गली नंबर 4 मौहम्मदी मस्जिद जाकिर हुसैन कॉलोनी, जिला मेरठ। हाल निवासी–अलीबाग कॉलोनी थाना लोहिया नगर, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी।

मुकदमा अपराध सं0–317/2026

अं0धारा–115(2),352,351(3),109(1)बी.एन.एस व 3/25/27 आ0अधि0।
थाना–लोहिया नगर, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से..... श्री फरमान अली, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

**दिनांक–18.06.2026**

**1.** यह **प्रथम नियमित जमानत** प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **वसीम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 317/2026, अंतर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 109(1)बी.एन.एस व 3/25/27 आ0अधि0थाना–लोहिया नगर, जनपद मेरठ में नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**2.** नियमित जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस नियमित जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

**3.** पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि प्रार्थी मौहम्मद सलमान दिनांक 21.05.2026 को समय करीब 10.00 बजे रहीस पत्रकार व उसका लड़का वसीम, शाकिब व गोली की बच्चों के कारण कहा–सुनी हो गयी थी। उसके बाद जब मैं घर पहुॅचा तो इन्होंने पहले मेरे व मेरी पत्नी रानी के साथ मारपीट व गाली–गलौच की और रहीस के लड़के ने जान से मारने की नीयत से गोली चलायी। मारपीट में मेरे हाथ की हड्डी टूट गयी तथा पत्नी की भी हालत खराब है। मेरा छोटा भाई शहजाद जैसे ही आया तो सबने मिलकर उसकी भी पिटाई कर दी तथा जान से मारने की धमकी दी।

**4.** प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा झूँठा रंजिशन फॅसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्व है। वादी मुकदमा व उसके भाई आपराधिक प्रवृत्ति के दबंग व्यक्ति है तथा आये दिन लोगों के साथ मारपीट व झगड़ा करते है। वादी मुकदमा व उसके भाई शाहनवाज, शहजाद, फरमान व कुछ अज्ञात लोगों ने प्रार्थी/अभियुक्त के घर पर आकर उसके पिता के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी–डण्ड़ों से बुरी तरह मारपीट की, जिससे प्रार्थी के पिता के शरीर पर फ्रैक्चर है तथा अभी भी अस्पताल में भर्ती है। उपरोक्त मुकदमा दबाव बनाये जाने के लिये पंजीकृत किया गया है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा नियमित जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

**5.** अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

**6.** मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देर्शों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

**7.** निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

**8.** प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व वादी मुकदमा, उसकी पत्नी व भाई शहजाद को मारपीट कर चोटें पहुॅचाने का आक्षेप है। केस डायरी में चुटैल सलमान, शहजाद व रानी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या संलग्नक हैं, जिसमें सलमान को 01 चोट, शहजाद को 04 चोटें व रानी को 06 चोटें आना दर्शित किया गया है। जिनमें से चुटैल रानी व शहजाद की चोटों के सम्बन्ध में एक्सरे की सलाह दी गयी। केस डायरी के साथ उपरोक्त चुटैलों की एक्सरे रिपोर्ट संलग्नक की गयी

है, जिनमें चुटैलों को चोटे साधारण प्रकृति की दर्शायी गयी है। फर्द बरामदगी के अनुसार यद्यपि अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद होने का उल्लेख किया गया है। किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी आग्नेयास्त्र का प्रयोग किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यह कथित तमंचा उक्त अपराध में प्रयोग में लाया गया अथवा नहीं, यह साक्ष्य का विषय है, जो इस स्तर पर नहीं देखा जाना है। अभियुक्त दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। अभियोजन आख्या के अनुसार अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया है।

**9.** अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई मत प्रकट किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त **वसीम** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जायः–

1. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2. विवेचक द्वारा तलब किए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त साक्षियों को डराएगा–धमकाएगा नहीं और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।
4. विवेचक की अनुमति के बिना दौरान विवेचना जिले से बाहर नहीं जायेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
6. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जाए।

**दिनांकः 18.06.2026**

**(राकेश कुमार–पंचम)**
**प्रभारी सत्र न्यायाधीश,**
**मेरठ।**
**I.D.No.U.P.-6155**

Pankaj Kumar (P.A.)